नन्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : बी. एल. कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 59 / 2018

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. श्रीमती तुलछी पत्नी मोडाराम, 2. जसाराम पुत्र मोडाराम 3. श्रीमती धापूदेवी पत्नी जेठाराम निवासीगण–चौमू तहसील, बालेसर जिला जोधपुर		1.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बालेसर 2. हल्का पटवारी, चौमू पटवार मण्डल चौमू, तहसील– बालेसर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने न्याय आपके द्वार, 2018 राजस्व लोक अदालत में जरिये क्रमांक 1399 दिनांक 1.6.2018 को पारित किया।

निर्णय

दिनांकः 16.09.2019

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा न्याय आपके द्वार 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत के शिविर में दिनांक 1.6.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसके विरूद्ध राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 9.4.2019 को प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत किया गया।

2. हमने दोनों पक्षकारान की ओर से उपस्थित अभिभाषकों के द्वारा की गई बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक ने यह कथन किया कि ग्राम चौमू में अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि ख0सं0 960 / 1 रकबा 64 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं आया हुआ है। तथा इसके आस–पडौस में अन्य खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमियॉ आई हैं जिसने जाने के लिये रास्ते हुए एक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का चौमू के द्वारा तहसीलदार बालेसर को प्रस्तुत की।

3. तहसीलदार बालेसर ने उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को लोक अदालत राजस्व शिविर में उक्त रिपोर्ट पेश करते हुए उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि में सार्वजनिक रास्ता घोषित करने की अनुशंसा की जिसमें संलग्न नजरी नक्शा में रास्ते दिखाया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132, 136 के तहत एक तरफा आवेदन पत्र की सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनांक 1.6.2018 के द्वारा खसरा संख्या 960/1 में से 1.07 बीघा भूमि को सार्वजनिक रास्ते में घोषित करने का आदेश पारित कर दिया।

4. उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्टस जो कि वादग्रस्त खसरा संख्या 960/1 की सहखातेदार होने से आवश्यक रूप से हितबद्व पक्षकार को विधिवत रूप से नोटिस नहीं दिया, न ही तामील कराया गया और न हीं सुनवाई का अवसर दिया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने एवं एक पक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलान्टस के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि धारा 131. 132 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत किसी की खातेदारी कृषि में से सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि एक काश्तकार अपनी कृषि भूमि से दूसरे खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ता दिये जाने हेतु अगर नियमानुसाार प्रार्थना करता है तो उसके लिये धारा 251–ए एवं धारा 88, 89 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रावधान दिये हुए है एवं उक्त प्रावधान के तहत उपखण्ड अधिकारी दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करने हेतु सक्षम है। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के द्वारा खातेदारी भूमि में रास्ता दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह कानूनन आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

6. अपीलान्टस के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज/6/ 2003 पार्ट–4 दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए से उपर नहीं माना जा सकता। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

7. अपीलान्टस के योग्य अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का ने जो वादग्रस्त खसरा भूमि की जो रिपोर्ट तैयार कर उसमें रास्ता दिखाते हुए पेश की गई वहॉ पर मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता है ही नही। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी के खसरा संख्या 960/1 की भूमि की सीमा पर एक सडक निकली हुई है जो अन्य काश्तकारों की भूमि के समानान्तर चलती है। ऐसे में अपीलार्थी एवं अन्य पडौसी सहखातेदारों/काश्तकारों को किसी प्रकार के रास्ते की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए पटवारी हल्का के द्वारा द्वेषभावनापूर्ण तरीके से मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पटवारी हल्का ने मात्र मनगढत तथ्यों के आधार पर मौका रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत कर दी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गंभीरतापूर्वक गौर किये बिना ही खसरा भूमि में से सार्वजनिक रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

8. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बालेसर के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश जारी किये गये है वो नियमानुसार जारी होने से एवं विधि अनुकूल होने से यथावत बहाल रखे जावे क्योंकि उक्त अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में कृषि भूमि क्षेत्र में निजी काश्तकारों को आने जाने हेतु रास्ता सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किये जाने एवं रास्ता दिये जाने का प्रावधान किये हुए होने उक्त वादग्रस्त खसरान भूमि में से सार्वजनिक रास्ता घोषित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील इस आधार पर खारिज की जावें।

9. हमने दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर की ओर से जारी परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज/6/ 2003 पार्ट–4 दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित रास्ते सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण अभियान

2016 के तहत चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थायी रास्ते के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती करवाने के निर्देशों अनुसार ग्राम चामू तहसील बालेसर के विभिन्न खसरान भूमि के निजी खातेदारों की भूमि में संचालित रास्तों का अंकन राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2018 को पारित किया गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसकी सहखातेदारी की भूमि में से रास्ता दिये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का उल्लेख किया है। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें संलग्न मौका फर्द पर अपीलार्थी की कोई उपस्थिती दर्ज नहीं है और न ही उसके हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशान पाये गये। ऐसे में अपीलार्थीया के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः हम यह समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण में अपीलार्थीया को अपना पक्ष रखने हेतु तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

आदेश

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीया को पर्याप्त सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर देने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर